4.	Finance & Accounts	33	77	110
5.	Project & Engineering/Project Finance . . .	18	18	36
6.	Engineering-Hotels	15	13	28
7.	Tourism Task Force	6	4	10
8.	Policy Planning & Corporate Reforms . . .	3	1	4
9.	Duty Free Trade	28	83	111
10.	Public Relations & Corporate Communication . .	23	55	78
11	Ashok Tours & Travels	17	29	46
12.	Hotels Division/Training Cell/Sound & Light Show .	12	51	63
13.	Corporate Personnel	19	43	62
14.	Vigilence & Security	17	28	45
15.	Memorial Management & Development . . .	7	12	19
16.	Hotel Sales Marketing	38	21	59

विमान यातायात में वृद्धि के लिये अन्तर मंत्रालय समिति

5850. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विमान यातायात में वृद्धि के संबंध में अध्ययन करने के लिये एक अन्तर मंत्रालय समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषयों सहित इसके गठन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दे दिये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) आदेशों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) समिति ने 28 मार्च, 1994 को अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

विवरण

भारत सरकार
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय
(नागर विमानन विभाग)

सरदार पटेल भवन,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली, 6-9-93

संख्या ए.वी.18016/1/93-ए.ए.

आदेश

विषय : सन 2000 तक अन्तर्देशीय हवाई यातायात में संवृद्धि का अनुमान लगाने के लिये समिति ।

अन्तर्देशीय हवाई यातायात वृद्धि के संबंध में समय-समय पर अनुमान लगाया जाता रहा है । विगत में विशेष रूप से लगभग पिछले पांच साल में लगाये गये कुछ अनुमान पूरे नहीं हुए जब यातायात में संवृद्धि नहीं हुई । अतः यह आवश्यक समझा गया है कि इस संबंध में नये सिरे से मूल्यांकन किया जाये । तदनुसार,

सन 2000 तक अन्तर्देशीय हवाई यात्री यातायात में वास्तविक संवृद्धि का अनुमान लगाने के लिये एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है ।

2. समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :–

(1) श्री वी.ए. वलियापारम्पिल सलाहकार (परिवहन) योजना –अध्यक्ष आयोग

(2) श्री ए. के. गुप्ता, संयुक्त –सदस्य सचिव, पर्यटन विभाग

(3) श्री पी. के. बनर्जी, संयुक्त –सदस्य सचिव,
नागर विमानन विभाग

(4) श्री अशोक वैश्य,
निदेशक (योजना) एयर, इंडिया–सदस्य

(5) डा० जी०के० अग्रवाल, –सदस्य सचिव
निदेशक (योजना), इंडियन
एयरलाइंस

3. समिति उद्योग, व्यापार अथवा किसी अन्य एजेंसी से किसी एक को सहयोजित कर सकती है जिसके सहयोग को वे विचार विमर्श में लाभप्रद समझें ।

4. समिति को सचिवालयीन सहायता इंडियन एयरलाइंस द्वारा दी जायेगी ।

5. समिति प्राथमिकता के आधार पर 31 अक्तूबर, 1993 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(पी०एस० राधाकृष्ण)
अवर सचिव, भारत सरकार ।

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य

2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
एयर इंडिया, बम्बई ।

3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
इंडियन एयरलाइंस, नई दिल्ली ।

4. नागर विमानन महानिदेशालय,
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली ।

(पी०एस० राधाकृष्ण)
अवर सचिव, भारत सरकार ।

ईस्ट वेस्ट एयरलाईंस की सेवाएं

5851. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न विमान-पत्तनों पर गैर-सरकारी एयरलाइनों को अपने विमानों द्वारा यात्रियों को ले जाने की अनुमति दी गई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या गैर-सरकारी एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को पूर्ण यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रहने पर भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि ईस्ट वेस्ट एयरलाइन की बम्बई से दिल्ली तक की सेवा काफी असुविधाजनक है ; पिछले छः महीनों के दौरान इस कम्पनी की उड़ानों में विलम्ब की अवधि कितनी-कितनी थी : और क्या यात्रियों को अपनी उड़ान के लिए 2 से 3 घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी ;

(घ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ङ) क्या जिन कम्पनियों के पास विमानों की कमी है उनकी उड़ानों की संख्या निश्चित किए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। एयर टैक्सी प्रचालन की अनुमति का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और अन्तर्देशीय विमान सेवा को बढ़ाना है।